राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 23/2023

(अपील संख्या :– 60/2020)

कैलाश चन्द्र गुप्ता **–प्रार्थी/अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2023
आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –
प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से : श्री अली हसन, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 60/2020 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी गई।

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.11.2023 को संशोधित करने हेतु पुनर्विचार किया जावे।

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 60/2020 दिनांक 08.01.2020 को प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 29.11.2023 को निम्नलिखित आदेश फरमाया गया :–

> *"उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी का नियमानुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया है तो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी वेतन*

आयोग के अनुसार अपीलार्थी का नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावे और सेवानिवृत्ति पश्चात् यदि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान विलम्ब से किया गया है तो उक्त प्रावधानानुसार/नियमानुसार अपीलार्थी को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।''

उनका कथन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2019 के द्वारा वेतन निर्धारण किया जा चुका है, परंतु प्रार्थी/अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपील में वेतन निर्धारण की शेष राशि मय ब्याज और चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना की गई थी, जिसके संबंध में अधिकरण द्वारा निर्देश नहीं दिया गया है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील संख्या 60/2020 में अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.11.2023 में परिवर्तन करते हुए अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग को वेतन निर्धारण की शेष राशि मय ब्याज सहित एवं चयनित वेतनमान आदि का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमनें प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 60/2020 दिनांक 08.01.2020 को प्रस्तुत की गई, जिस पर अधिकरण द्वारा अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 29.11.2023 को आदेश पारित किया गया, में संशोधन करते हुए हम अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग को यह भी आदेश देना समीचीन समझते हैं कि विभाग द्वारा जो प्रार्थी/अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया गया उसकी शेष राशि एवं उस पर नियमानुसार 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रार्थी/अपीलार्थी को भुगतान किया जावे तथा उसकी सेवा अवधि की सही गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य